पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने दोनों विधायकों का पक्ष सुना

माह जनवरी के अंत से पहले देंगे अपना फैसला

लखनऊः 16 जनवरी, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक से आज बहुजन समाज पार्टी के विधायक, श्री उमाशंकर सिंह तथा भारतीय जनता पार्टी के विधायक, श्री बजरंग बहादुर सिंह ने अलग-अलग भेंट कर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा तथा लिखित प्रत्यावेदन भी दिया।

राज्यपाल दोनों विधायकों के प्रत्यावेदनों का परीक्षण कर जनवरी 2015 के अंत से पहले निर्णय करेंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन0के0 मेहरोत्रा ने सरकारी कन्टैªक्ट लेने के आरोप में विधायक, श्री उमाशंकर सिंह तथा विधायक, श्री बजरंग बहादुर सिंह को दोषी पाते हुये मुख्यमंत्री को अपनी जाँच रिपोर्ट प्रेषित की थी जिसे मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को भेज दिया था। राज्यपाल ने प्रकरण भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अभिमत के लिये संदर्भित कर दिया था। भारत निर्वाचन आयोग से अभिमत मिलने के बाद दोनों विधायकों ने राज्यपाल के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये समय दिये जाने का अनुरोध किया था।